



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249136
CG-DL-E-04102023-249136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 256]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: ओआई -17/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/18/2023-डीजीटीआर.—1. मै. केसोराम रेयन (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने दावा लगाया है कि चीन जन.गण से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म" (सीटीएफ) है (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है)। इस उत्पाद को वैश्विक रूप से अन्य नाम "सेलोफेन ट्रांसपेरेंट पेपर", "सेलोफेन पेपर", "ट्रांसपेरेंट पेपर", "ट्रांसपेरेंट फिल्म", "टीपी फिल्म", "सीटीपी फिल्म" आदि के नाम से भी जाना जाता है।
4. सीटीएफ एक ग्लास क्लियर पारदर्शिता और चमक वाली रिजेनेरेटेड सेल्यूलोज फिल्म है। यह लीचील किंतु मजबूत है। यह उत्कृष्ट मशीन योग्यता तथा आयामी स्थिरता दर्शाती है। यह लकड़ी की लुग्दी से बनती है। यह गैर-विषैली, बायोडिग्रेडेबल होती है और अन्य कागज की तरह जलती है और काली राख छोड़ती है। सीटीएफ रंगीन या सफेद हो सकती है। यह शीट या रोल के रूप में उपलब्ध है। यह एक आदर्श पैकिंग सामग्री है। इसे मिठाइयों, पटाखों, फलों, खाद्य मदों, कैंडी, कनफैक्शनरी, गिफ्ट, साबुन, अगरबत्ती, चांदी के बर्तन आदि की पैकिंग और रैपिंग में प्रयोग होती है।
5. सीटीएफ के अनेक रूप हैं जिनके अलग-अलग जीएसएम होते हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उपभोक्ता इन उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं क्योंकि पीयूसी के विभिन्न ग्रेडों में जीएसएम पर विचार किए बिना कीमत में कोई खास अंतर नहीं होता है और सभी प्रकार के ग्रेड पीयूसी के दायरे में है। अतः माप की इकाई किलोग्राम ली गई है।
6. संबद्ध उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 तथा अध्याय 48 के उप शीर्ष 39207111 और 48239090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पीयूसी को मुख्यतः 39207111 में आयातित किया जाता है और केवल कुछ सौदे अध्याय 48 में हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
7. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच शुरुआत अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर पीयूसी, पीसीएन, यदि कोई हो, के दायरे संबंधी टिप्पणियां करने का निदेश दिया जाता है।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन.गण से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित द्वारा संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत याथापरिभाषित संबद्ध देश से आयातित वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना गया है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद चीन जन. गण. से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
9. इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. संबद्ध वस्तु का कथित रूप से चीन जन.गण से पाटन किया जा रहा है।

घ. जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2019-20 (आधार वर्ष), 2020-21, 2021-2022, और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

12. वर्तमान आवेदक मै. केसोराम रेयन, जो सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता की एक इकाई है (केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) द्वारा दायर जा रहा है जिसमें चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक में दायर सूचना के अनुसार आवेदक के पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए एकमात्र विनिर्माण संयंत्र है

और वह भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है और उसके पास भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का भारतीय उत्पादन लेखांकन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

13. उपलब्ध सूचना के आधार पर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

14. प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने की रही है। जब तक कि चीन जन.गण से उत्पादक यह न दर्शाएं कि उनसे उद्योग में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं।
15. आवेदक ने बताया है कि यूनाइटेड किंगडम बेचे गए विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य लिया जा सकता है तथापि, आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए फुटमुरा कैमिकल यूके लि. का केवल एक बीजक प्रस्तुत किया है। इसके अलावा यू के को चीन जन.गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश नहीं मान सकते हैं क्योंकि चीन और यू के से आयातों के सीआईएसफ मूल्य के बीच भारी अंतर है। इसके अलावा, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विकास का स्तर अलग-अलग है।
16. अतः इस जांच के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और मुनाफे में उचित वृद्धि के साथ।
17. आवेदक ने निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का बाजार आसूचना स्रोतों से लिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रस्ताव की जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य के आधार पर दावा किया है जिसे आगे समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े आदि के लिए समायोजित किया गया है। तथापि, इस जांच के प्रयोजनार्थ निर्यात कीमत को डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार परिकलित किया गया है जिसे आगे समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े आदि के लिए समायोजित किया गया है।

क. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

ख. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

19. आवेदक ने पाटन के परिणामस्वरूप क्षति संबंधी प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमतहास से घटा, नकद घटा और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय हुई है। संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। उत्पादन और बिक्रियां मांग में वृद्धि के बावजूद समान स्तर पर रही हैं। इसके अलावा, मालसूची में भारी वृद्धि हुई थी और वृद्धि मात्रा तथा कीमत मापदंडों की दृष्टि से नकारात्मक रही है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in तथा उनकी प्रति jd16-dgtr@gov.in और jd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उक्त पैरा 23 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और jd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
30. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
31. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश

संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
35. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
36. यदि प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो वे ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश हैं। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सार्वजनिक फाइल को रखने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2023

Case No. OI (17/2023)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Cellophane Transparent Film” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/18/2023-DGTR.—1. M/s Kesoram Rayon (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the imports of “Cellophane Transparent Film” (hereinafter referred to as the “product under consideration” or “PUC” or the “subject goods”), originating in or exported from China PR.

2. The applicant has claimed that injury to the domestic industry is being caused due to the dumped imports from China PR and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR.

A. Product Under Consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is “Cellophane Transparent Film”. (CTF), (hereinafter also referred to as the “Product under Consideration” or the “subject goods”). The product is also globally known by other names like “Cellophane Transparent Paper”, “Cellophane Paper”, “Transparent Paper”, “Transparent Film”, “TP Film”, “CTP Film”, etc.
4. CTF is a re-generated cellulose film of glass clear transparency and sparkle. It is flexible yet tough. It shows outstanding machinability as well as dimensional stability. It is made of wood pulp. It is non-toxic, biodegradable and burns like any other paper leaving black ash. CTF can be colored or white. It is available in sheet and roll forms. It is an ideal packing material. It is used in packing and wrapping of sweets, fireworks, fruits and food items, candies, confectionaries, gifts, soaps, incense sticks, silverware, etc.
5. There are different forms of CTF having different GSM. The applicant has claimed that the consumers use the products interchangeably as there is no significant price difference in different grades of the PUC, regardless of the GSM and grades, all types are within the scope of the PUC therefore, the unit of measurement is taken as KG.
6. The subject products are classified under Chapter 39 and Chapter 48 under customs sub-headings 39207111 and 48239090 of the Customs Tariff Act, 1975. The PUC is mainly imported in 39207111 and only few transactions are in chapter 48. It is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.
7. The interested parties are directed to make comments on the scope of the PUC, PCNs, if any within 15 days of this initiation notification.

B. Like Article

8. The applicant has submitted that the subject goods produced by the Indian industry and imported from China PR are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The subject goods produced by the applicant are ‘like article’ to the goods imported from the subject country as defined under Rule 2(d) of the Anti- Dumping Rules. The applicant, therefore, has submitted that the product produced by the domestic industry is like article to the product imported from China PR.
9. Thus, for the purposes of the present investigation, the article produced by the applicant has been considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. Subject Country

10. The subject goods are allegedly being dumped from China PR.

D. Period of Investigation

11. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is April 2022 to March 2023 (12 months). However, injury investigation period will cover 2019-20 (base year), 2020-21, 2021-22 and the POI.

E. Domestic Industry and Standing

12. The present application has been filed by M/s Kesoram Rayon, a unit of Cygnet Industries Ltd., Kolkata (a wholly owned subsidiary of Kesoram Industries Limited) for recommendation of the anti-dumping duties on the dumped imports of the product under consideration from China PR. As per the information filed in the application, the applicant has a sole manufacturing plant to produce the subject goods and is the sole producer of the PUC in India and commands 100% of the Indian production of the subject goods.
13. On the basis of the information available and after due examination, the Authority notes that the production by the applicant constitutes “a major proportion” of total Indian production. Thus, the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

F. Basis of alleged dumping**Normal Value and Export price for China PR**

14. The consistent practice of the Authority has been to treat China PR as a non-market economy, unless the producers from China PR demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
15. The applicant has submitted that the normal value of the product under consideration sold in United Kingdom may be taken. However, the applicant has submitted only one invoice of Futamura Chemical UK Ltd., for the construction of normal value in the market economy third country. Also, UK may not be treated as market economy third country for China PR as there is huge difference between CIF value of imports from China PR and UK. Further, the level of development for both the economies is different.
16. Therefore, for the purpose of this investigation, the normal value has been constructed on the basis of the cost of production in India, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits.
17. The applicant has claimed export price and landed value based on the volume and value of imports for the proposed period of investigation as per data procured from market intelligence sources, further adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight etc. However, for the purpose of this investigation export price has been calculated as per the DGCIS data adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight etc.

a. Dumping Margin

18. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject country are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

G. Evidence of Injury and Causal link

19. The applicant has furnished *prima facie* evidence regarding the injury resulting from the alleged dumping of imports. The imports from the subject country have increased in absolute and relative terms. The price depression caused by the dumped imports have led to losses, cash losses, and negative return on the capital employed. Market share of the subject country has increased. Further, there was a significant increase in inventories and growth has been negative in terms of both volume and price parameters. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports of the subject goods from the subject country.

H. Initiation of anti-dumping investigation

20. On the basis of the duly substantiated application by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

21. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of Information

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in with copy to

jd16-dgtr@gov.in and jd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

23. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 22 above.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the DGTR, i.e., <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and jd15-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the trade notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
30. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

37. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

38. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority